

Process for New Registration

1. Only applicants with Samagra, Sthaniya niwasi & digilocker can apply
2. In this new form while creating profile Your name, Father's Name ,DOB,Address and photograph will fetched from samagra and applicant will not be able to change the same
3. This being a paperless system the applicant will not have to submit any physical documents nor come to the office of MP Pharmacy council. The Pharmacist's licence will be sent automatically to his mail Id.
4. The slot booking by the applicant for visiting the office has also been abolished
5. Module for corrections in existing applications launched and will require Samagra, Sthaniya niwasi & digilocker of the applicant

1. नया आवेदन पोर्टल लॉन्च किया गया है। केवल समग्र, स्थानीय निवासी और डिजिलॉकर वाले आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं।
2. इस नए फॉर्म में प्रोफाइल बनाते समय आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता और फोटो समग्र से लिया जाएगा और आवेदक इसमें बदलाव नहीं कर सकेगा।
3. यह एक पेपरलेस प्रणाली है, इसलिए आवेदक को न तो कोई भौतिक दस्तावेज़ जमा करने होंगे और न ही मध्य प्रदेश फार्मसी काउंसिल के कार्यालय आने की आवश्यकता होगी। फार्मासिस्ट का लाइसेंस स्वचालित रूप से उसकी मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
4. कार्यालय आने के लिए आवेदक द्वारा स्लॉट बुकिंग की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है।
5. मौजूदा आवेदनों में सुधार के लिए मॉड्यूल लॉन्च किया गया है और इसके लिए भी आवेदक को समग्र, स्थानीय निवासी और डिजिलॉकर की आवश्यकता होगी।